पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–14] रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 मार्च, 2013 ई0 (फाल्गुन 11, 1934 शक सम्वत्) [संख्या–09

फार्म नं0 4
(नियम 8 देखिये)

1–प्रकाशन	:	रुड़की।
2–प्रकाशन की अवधि	:	साप्ताहिक।
3–मुद्रक का नाम	:	अपर निदेशक, एस0 के0 गुप्ता।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	–
पता	:	अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड।
4–प्रकाशक का नाम	:	अपर निदेशक, एस0 के0 गुप्ता।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	–
5–सम्पादक का नाम	:	उत्तराखण्ड शासन।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	–
पता	:	सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6–उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार–पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझीदार हों।	:	सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

मैं, एस0 के0 गुप्ता, अपर निदेशक एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

(प्रकाशक के हस्ताक्षर)
एस0 के0 गुप्ता,
अपर निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड,
रुड़की।

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	73–78	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	65–76	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वित्त अनुभाग–6

कार्यालय–ज्ञाप

28 जनवरी, 2013 ई0

संख्या 55/XXVII(6)/2013–वर्तमान में श्री शरद चन्द्र पाण्डे, निदेशक कोषागर एवं वित्त सेवायें के अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के कारण दिनांक 31.01.2013 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो जायेंगे। जिसके कारण दिनांक 01.02.2013 से निदेशक, कोषागार का पद रिक्त हो जायेगा।

अतः श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल को दिनांक 01.02.2013 से कार्यहित में निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें के पद पर तथा निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पद का कार्यभार, श्री अग्रवाल को अतिरिक्त कार्य के रूप में सौंपा जाता है, जिसके लिए इन्हें अलग से कोई वेतन आदि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल द्वारा अपर सचिव, वित्त का कार्यभार भी पूर्व की भाँति निर्वहन किया जाता रहेगा।

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव, वित्त।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

30 जनवरी, 2013 ई0

संख्या 123/2013/XXVII(8)/सू0अ0अ0/08–"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" (2005 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 5 व 19 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग के शासन स्तर हेतु निम्नांकित लोक प्राधिकारी इकाई के सम्मुख अंकित लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के रूप में अधिसूचित/नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्र0 सं0	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4
1	वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	अनुसचिव, वित्त अनुभाग–8	संयुक्त सचिव, वित्त अनुभाग–8

2. उपर्युक्त नामित किये गये लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्य हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

प्रमुख सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

04 फरवरी, 2013 ई0

संख्या 219/VII–1–13/01–रिट/2008–भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में ज्येष्ठ खान अधिकारी/उप निदेशक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री एस0 एल0 पैट्रिक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से खनिकर्म शाखा में संयुक्त निदेशक (खनन)/मुख्य खान अधिकारी के पद पर वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600 में नियमित रूप से पदोन्नत करते हुये भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त संयुक्त निदेशक (खनन)/मुख्य खान अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

कार्यालय–ज्ञाप

04 फरवरी, 2013 ई0

संख्या 220/VII–1–13/01–रिट/2008–भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के अन्तर्गत खान अधिकारी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री सुनील पंवार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से खनिकर्म शाखा में उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी के पद पर वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600 में नियमित रूप से पदोन्नत करते हुये, श्री पंवार की तैनाती कुमाऊँ क्षेत्र, मुख्यालय, अल्मोड़ा में करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,

प्रमुख सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

28 जनवरी, 2013 ई0

संख्या 311/xxxi(13)/G/13–45(1)/2006–श्री राज्यपाल महोदय, युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5, सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र परिनिश्चित करते है, जिसमें एक फरवरी दो हजार बारह को आरम्भ होने वाली और इकतीस जनवरी दो हजार सत्रह (01 फरवरी, 2012 से 31 जनवरी, 2017) को समाप्त होने वाली पाँच वर्ष की अवधि में गोला चलाने और तोप दागने का अभ्यास किया जाना प्राधिकृत किया जा सकता है:–

क्षेत्र का विवरण

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	गाटा सं0	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
पिथौरागढ़	पिथैरागढ़	मैना	2420	282.48
		बगडतोली	3288	167.35
		बसोड	1930	476.86
		दोली	7047	447.35
		सरमोला	1000	35.00
		विसखोली	4383	322.50
		बलतड़ी	4077	446.55
		मनानीगाड		क्षेत्रफल बसौड ग्राम में सम्मिलित है
		जाथल	1432	211.72
		मूनाकोट	5316	1147.47

टिप्पणी–भूमि का स्थल नक्शा, जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the “Constitution of India”, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 311/XXXI(13)G/13-45(1)/2006,** dated January 28, 2013 :

NOTIFICATION

January 28, 2013

No. 311/XXXI(13)G/13-45(1)/2006--In exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 9 of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Central Act no. 5 of 1938), the Governor is pleased to define the area specified in the Schedule below as the area within for a period of five years commencing on the First day of February, 2012 and ending with the Thirty first day of January, 2017 carrying out, periodically of field firing and artillery practice may be authorized.

SCHEDULE

Distt.	Tehsil	Village	Plot no.	Approximate Area (in Acre)
1	2	3	4	5
Pithoragarh	Pithoragarh	Gaina	2420	282.48
		Bagartoli	3288	167.35
		Basaur	1930	476.86
		Doli	7047	447.35
		Surmola	1000	35.00
		Biskholi	4383	322.50

1	2	3	4	5
Pithoragarh	Pithoragarh	Baltari	4077	446.55
		Mananigad		Area included in Village Basaur
		Jathal	1432	211.72
		Munakote	5316	1147.47

NOTE--A site plan of the land may be inspected in the office the District Magistrate, Pithoragarh.

By Order,

SURENDRA SINGH RAWAT,
Secretary.

सिंचाई अनुभाग

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

30 जनवरी, 2013 ई0

संख्या 204/II–2013–01(18)/2011–कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 334/11/डी0पी0सी0/ई–1/2012–13, दिनांक 28.12.2012 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), को सहायक अभियन्ता (सिविल), वेतनमान ₹ 15,600–39,100, एवं सदृश्य ग्रेड पे ₹ 5,400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. श्री प्रेम कुमार गोदियाल
2. श्री रामपाल शर्मा
3. श्री उम्मीद हसन
4. श्री वीरेन्द्र दत्त
5. श्री हुकम सिंह रावत
6. श्री शैलेन्द्र कुमार मंमगाई
7. श्री जयेन्द्र सिंह
8. श्री रामस्वरूप रतूड़ी
9. श्री अनन्तराम उनियाल
10. श्री सुभाष चन्द रमोला
11. श्री सुरेश चन्द
12. श्री वीरेन्द्र दत्त जोशी
13. श्री राजीव कुमार गोस्वामी
14. श्री राजेन्द्र प्रसाद पंत
15. श्री चन्द्र किशोर
16. श्री हिमांशु कुमार
17. श्री विनोद प्रसाद डंगवाल
18. श्री कृष्णा सिंह चौहान
19. श्री रामेश्वर प्रसाद चमोली
20. श्री सुधीर चन्द्र पंत
21. श्री चन्डीप्रसाद भट्ट
22. श्री रत्नाकर बेलवाल
23. श्री कमल सिंह सजवाण
24. श्री जयपाल सिंह रावत
25. श्री प्रेम लाल नौटियाल
26. श्री विनोद कुमार डंगवाल
27. श्री विनोद कुमार नौटियाल

28. श्री दिनेश चन्द्र उनियाल
29. श्री धनेन्द्र प्रसाद जोशी
30. श्री अरविन्द प्रसाद जोशी
31. श्री जगदीश चन्द्र थपलियाल
32. श्री अनूप कुमार ड्यूडी
33. श्री सुरेन्द्र सिंह
34. श्री सुधीर कुमार मंमगाई
35. श्री अरविन्द सिंह नेगी
36. श्री राजेश लाम्बा
37. श्री राजेन्द्र प्रसाद कुडियाल
38. श्री अरूण कुमार बहुगुणा
39. श्री राजेश नौटियाल
40. श्री शिवराम जगूडी
41. श्री रमेश चन्द्र कोठारी
42. श्री रघुवीर सिंह गुसांई
43. श्री परशुराम
44. श्री नवीन सिंह लस्पाल
45. श्री मदन सिंह बिष्ट
46. श्री पन्नी लाल
47. श्री कमलेश पाण्डे
48. श्री मोहन सिंह रावत
49. श्री भुवन चन्द्र नैनवाल
50. श्री पान सिंह
51. श्री मनोज कुमार
52. श्री कमलकान्त जोशी
53. श्री मनोज सेमवाल
54. श्री ओमजी
55. श्री ललित मोहन कुड़ियाल
56. श्री सचिन शर्मा
57. श्री अमित कुमार
58. श्री अभय कुमार वर्मा
59. श्री सचिन कुमार सिंघल
60. श्री हरीश चन्द्र (दिनांक 31.05.2013 को श्री पी0 के0 अस्थाना की अधि0 अभि0 के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप घटित रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति प्रभावी होगी।)
61. श्री गणेश प्रसाद नौटियाल (दिनांक 31.05.2013 को श्री जगत राम की से0नि0 के फलस्वरूप घटित रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति प्रभावी होगी।)
62. श्री विनोद सिंह रावत (दिनांक 30.06.2013 को श्री गणेश चन्द्र पंत की से0नि0 के फलस्वरूप घटित रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति प्रभावी होगी।)

2. पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे।

3. उपरोक्त क्रमांक 44 से 62 तक अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण का लाभ प्राप्त कार्मिकों को अग्रेत्तर शिथिलीकरण का लाभ देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

सुबर्द्धन,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/153–भाग 1–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 मार्च, 2013 ई0 (फाल्गुन 11, 1934 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

22 जनवरी, 2013 ई0

पत्रांक 4379/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2012–13/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा–पत्र, प्ररुप–XVI/ओ0सी0 स्टैम्प, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज व क्रमांक	प्राप्त हुई सूचना का प्रकार
1	2	3	4	5
1.	सर्वश्री अन्नू ट्रेडिंग कम्पनी, लक्सर, हरिद्वार, टिन–05006503487	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-K2010/ 0882976	खोना
2.	सर्वश्री महालक्ष्मी, टैक्सटाईल्स इण्डस्ट्रीज, खसरा नं0 138, रायपुर भगवानपुर, रुड़की, टिन–05007006335	ओ0सी0 स्टैम्प (05)	U.K.AA-2008/ From 0945989 to 0945993	खोना
3.	सर्वश्री भ्रामरी स्टील्स प्रा0लि0, बरेली रोड, हल्द्वानी, टिन–05008249972	प्ररुप–XVI (04)	U.K.VAT-M2012/ From 0063293 to 0063296	खोना
4.	सर्वश्री हरि सेनेटरी हाउस, रामपुर रोड, हल्द्वानी, टिन–05010178720	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-K2010/ 1700745	खोना

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर (प्रशासन),
वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून।

विज्ञप्ति

23 जनवरी, 2013 ई0

पत्रांक 4421/आयु0 कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/12–13/वाणिज्य कर/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30 के उपनियम 13 के अन्तर्गत इस कार्यालय की निम्न विज्ञप्तियों द्वारा सीरीज U.K.VAT-K2010 के "आयात के लिए घोषणा–पत्र" (प्ररुप–16) को विज्ञप्ति की तिथि से अग्रिम आदेशों तक प्रचलन में लाये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	आयात घोषणा–पत्र (प्ररुप–16) की सीरीज	प्रचलन में लाये जाने हेतु जारी विज्ञप्ति का विवरण		प्रचलन में लाये गये आयात घोषणा–पत्र (प्ररुप–16) की क्रम संख्या	
		संख्या	दिनांक	कहां से	कहां तक
1.	U.K.VAT-K2010	4942	03.03.2011	0000001	1500000
		183	18.04.2011	1500001	2500000

अतः उक्त सीरीज के "आयात के लिए घोषणा–पत्र" (प्ररुप–16), दिनांक 20.02.2013 तक प्रचलन में बने रहेंगे और राज्य की जाँच चौकियों पर दिनांक 20.02.2013 की मध्य रात्रि तक स्वीकार किये जायेंगे तथा दिनांक 20.02.2013 की मध्य रात्रि के बाद इनका प्रचलन अवैध माना जायेगा।

समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि उनके कार्यालय में उपर्युक्त आयात के लिए घोषणा–पत्र (प्ररुप–16) का स्टॉक अवशेष है तो वे इन सीरीज के फार्म–16 को दिनांक 31.01.2013 तक ही व्यापारियों को वितरित करेंगे।

सौजन्या,
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

संख्या 87/2013/24(120)/XXVii(8)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभाग : वित्त (अनुभाग–8) देहरादून : दिनांक 21 जनवरी, 2013

महोदया,

1. वैट अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत "नमकीन जो पैक न किये गये हों" को दिनांक 01.10.2005 से अनुसूची 2(ख) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य श्रेणी में रखा गया था तथा विज्ञप्ति सं0 50/XXVII(8)/वाणिज्य कर (वैट)/2007, दिनांक 22.01.2007 के द्वारा "खुला नमकीन" को 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य श्रेणी में रखा गया था। आगे चलकर अधिसूचना संख्या 136/XXVII(8)/वाणि0कर(वैट)/2008, दिनांक 27.02.2009 जारी करते हुए "नमकीन" को 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य श्रेणी में रखा गया। इसके परिणामस्वरूप "नमकीन जो पैक किये गये हों" अथवा "नमकीन जो खुला न हो" वैट अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 01.10.2005 से दिनांक 26.02.2009 तक अवर्गीकृत वस्तुओं की श्रेणी के रूप में 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य रहे हैं। इस प्रकार वस्तु का वर्गीकरण एवं कर का दायित्व बिल्कुल स्पष्ट रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति नहीं रही है।

2. कालान्तर में नमकीन उद्योग के प्रतिनिधियों एवं आयुक्त कर के प्रस्ताव पर शासन द्वारा शासनादेश सं0 760/2011/24(120)/XXVII(8)/2010, दिनांक 12.07.2011 से निम्न निर्देश जारी किया गया :—

"ऐसे करदाता जिनकी लेखा—पुस्तकों के अनुसार उन्होंने पैकिंग के लिये कोई विशिष्ट प्रकार के पैकिंग मैटिरियल यथा सिल्वर फाइल, प्लास्टिक आदि एवं मशीन यथा वैक्यूम एण्ड नाइट्रोजन गैस फिलिंग का उपयोग नहीं किया है और केवल ग्राहकों की सुविधा की दृष्टि से नमकीन को पॉलीथिन में रखकर बेचा है और ग्राहकों से 4 प्रतिशत की दर से अपने बिलों पर कर वसूल किया है, ऐसे मामलों में दिनांक 01.10.2005 से 26.02.2009 की अवधि के सम्बन्ध में 8.5 प्रतिशत (12.5%—4%) कर देयता को माफ करने का अधिकार कर निर्धारण अधिकारी को निम्न प्रतिबन्धों के साथ दे दिया जाय—

(i) कर निर्धारण अधिकारी करदाता की लेखा—पुस्तकों की जाँच पर संतुष्ट हो जाय कि करदाता ने इस प्रकार की नमकीन की बिक्री पर अपने बिलों पर दिनांक 01.10.2005 से 26.02.2009 तक की अवधि में 4 प्रतिशत की दर से अधिक कर वसूल नहीं किया है।

(ii) कर माफी से पूर्व अपने सम्भाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) से पत्रावली सहित उच्चानुमोदन भी प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(iii) जिन करदाताओं ने ग्राहकों से 12.5 प्रतिशत की दर से कर वसूला है, उन्हें कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

इस प्रकार बिन्दु (1) में अंकित वस्तु का वर्गीकरण तथा कर की दर के प्राविधान एवं बिन्दु (2) में अंकित कर की माफी का शासनादेश बिल्कुल स्पष्ट है, इस सम्बन्ध में कोई विज्ञप्ति अथवा शासनादेश जारी किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।

वित्त अनुभाग—8

अधिसूचना

18 जनवरी, 2013 ई0

सं0 82/2012/17(120)/XXVII(8)/2009—श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू—राजस्व विधि अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड होटलों में सुख—साधन कर नियमावली, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तराखण्ड होटलों में सुख—साधन कर (संशोधन) नियमावली, 2012

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड होटलों में सुख—साधन कर (संशोधन) नियमावली, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 16 का संशोधन :

मूल नियमावली के नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (घ) रख दिया जायेगा ; अर्थात्—

(घ) अधिनियम की धारा 3 (ग) में निर्दिष्ट होटल की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले ऐसे "होटल", जिनके द्वारा ग्राहकों को "कमरे" किराये पर दिय जाते हैं, के अतिरिक्त "होटल" की परिभाषा में सम्मिलित अन्य इकाइयों (यथा कान्फ्रेन्स हॉल, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी हॉल, मण्डप, क्लब, लॉज, टेन्टेज रिजोर्ट एवं खुले स्थान) के संबंध में निम्नलिखित अभिलेख नियमित रूप से रखे जायेंगे :—

1. अधिभोग के संबंध में रजिस्टर्स :

अधिभोग के संबंध में, इकाईवार अलग—अलग, निर्धारित प्रपत्र LTR-1 एवं LTR-2 में रजिस्टर ;

2. बुकिंग स्लिप :

बुकिंग के संबंध में बुकिंग स्लिप, दो प्रतियों, में रखी जायेगी, जिनमें से मूल प्रति ग्राहक को जारी की जायेगी एवं द्वितीय प्रति अभिलेखों में सुरक्षित रखी जायेगी। "बुकिंग स्लिप" पर जारी करने वाली इकाई का नाम व पता, क्रमांक, बुकिंग का दिनांक, सुख—साधन कर की पंजीयन संख्या एवं उसकी प्रभावी तिथि, बुकिंग कराने वाले का नाम व पता, बुकिंग की अवधि एवं अग्रिम भुगतान , यदि कोई हो, अंकित किया जायेगा ;

3. इनवाइस :

इनवाइस दो प्रतियों में रखी जायेगी, जिनमें से मूल प्रति ग्राहक को जारी की जायेगी एवं द्वितीय प्रति सत्यापन हेतु अभिलेख में सुरक्षित रखी जायेगी। इनवाइस पर इकाई का नाम व पता, क्रमांक, दिनांक, अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन संख्या एवं उसकी प्रभावी दिनांक, बुकिंग स्लिप की क्रम संख्या एवं दिनांक, ग्राहक का नाम व पता प्राप्त अग्रिम राशि, यदि कोई हो, आयोजन का विवरण एवं आयोजन की अवधि, कुल प्राप्त अथवा प्राप्य धनराशि तथा वसूला गया कर अलग से, अंकित किया जायेगा।

एल0टी0आर0–1

{उत्तराखण्ड होटलों में सुख–साधन कर नियमावली के नियम 16 के उपनियम (1) का खण्ड (घ) देखें}

क्र0 सं0	बुकिंग का दिनांक	बुकिंग कराने वाले व्यक्ति का नाम	पूर्ण पता (कॉलम 3 में अंकित व्यक्ति का)	फोन/मो0 नं0/ई0मेल पता (कॉलम 3 में अंकित व्यक्ति का)	पहचान का प्रमाण (कॉलम 3 में अंकित व्यक्ति का)	आयोजन का विवरण	अधिभोग की अवधि (समय और तारीख सहित)	उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसके लिए बुक किया गया	आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सम्भावित संख्या	बुकिंग कराने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर	बुकिंग स्लिप की क्रम संख्या व दिनांक	प्राप्त अग्रिम भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

एल0टी0आर0–2

{उत्तराखण्ड होटलों में सुख–साधन कर नियमावली के नियम 16 के उपनियम (1) का खण्ड (घ) देखें}

क्र0 सं0	एल0टी0आर0–1 की क्रम संख्या	बुकिंग स्लिप की क्रम सं0 व दिनांक	अधिभोगकर्ताओं से वास्तविक रूप से वसूल गये सभी प्रकार के प्रभार, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाय, का सकल योग (भोजन या पेय या ऐसी अन्य वस्तुओं, जिनकी बिक्री पर वैट देय है, के प्रभार को छोड़कर)	इनवाइस सं0	इनवाइस की तारीख	वसूल किये गये सुख–साधन कर की राशि (रु0)	खाद्य अथवा पेय पदार्थों के अपूर्तिकर्ता, का नाम व पता	क्रम 8 पर अंकित आपूर्तिकर्ता का टिन संख्या एवं प्रभावी दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 82/2012/17(120)/XXVII(8)/2009,** dated January 18, 2013 :

NOTIFICATION

January 18, 2013

No. No. 82/2012/17(120)/XXVII(8)/2009--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws Act, 1975) Adaptation and Modification Order, 2002, the Governor is pleased to make the following amendments in the Uttarakhand Luxuries in Hotels Tax Rules, 2009 :

THE UTTARAKHAND LUXURIES TAX IN HOTELS (AMENDMENT) RULES, 2012

1. Short title and commencement :

(1) These rules may be called The Uttarakhand Luxuries Tax In Hotels (Amendment) Rules, 2012.

(2) These rules shall be effective with effect from the date of publication in the Gazette.

2. Amendment of Rule 16 :

In rule 16 of the "Principle Rules", after clause (c) of sub-rule (1), the following clause (d) shall be added; namely--

(d) Following records, shall be maintained, on a regular basis, regarding the units (viz. Conference Hall, Marriage Hall, Community Hall, Mandap, Club, Lodge, Tantage Resort and Open space), covered by the definition of 'Hotels' as specified in section 3(c) of the Act, excluding those units which provide rooms, on rent, to the occupants :

1. Registers in respect of occupancy :

Unit wise separate registers, in the prescribed form LTR-1 and LTR-2, regarding occupancy ;

2. Booking Slip :

Unit wise separate booking slip in respect of booking shall be kept in two copies, out of which original copy shall be issued to the customer and second copy shall be preserved as record. The name and address of the unit, serial number, date of booking, registration number, under Luxury Tax Act and its effective date, name and address of person booking on the behalf of the customer, period of booking and amount of advance payment, if any, shall be mentioned in the booking slip.

3. Invoice :

Invoice shall be maintained in two copies out of which original copy shall be issued to the customer and second copy shall be preserved, as record, for verification. The name and address of the unit, serial no. and date, registration number, under the Act and its effective date, serial number of the booking slip and its date, name and address of customer, advance received, if any, detail of events, period of event, total amount received or receivable, and the tax realized shall be mentioned in the invoice.

L.T.R.-1

{see clause (d) of sub-rule (1) of rule 16 of The Uttarakhand Luxury Tax in Hotels (amendment) Rules, 2012}

Sl. no.	Date of booking	Name of the person booking on the behalf of customer	Complete Address (of the person at col. 3)	Phone/mobile no./e-mail address (of the person at col. 3)	ID Proof (of the person at col. 3)	Details of events	Period of occupancy (with time and date)	name and address of person of whom booked	Number of persons likely to participate in the event	Signature of person booking on the behalf of customer	serial no. and date of the booking slip
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

L.T.R.-2

{see clause (d) of sub-rule (1) of rule 16 of The Uttarakhand Luxury/Tax in Hotels (amendment) Rules, 2012}

Sl. no.	Serial no. of L.T.R.-1	Serial no. and date of booking slip	Aggregate of all charges by what ever name called, actually realized from occupier/customer (excluding charges for food or drinks or of other vatable items	Invoice no.	Date of invoice	Amount of Luxury Tax realized (Rs.)	Name and address of the supplier of food or drinks	Supplier's TIN and its effective date at specified in serial no. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9

22 जनवरी, 2013 ई0

सं0 88/2013/17(120)/XXVII(8)/09—उत्तराखण्ड (उत्तरप्रदेश कराधान तथा भू—राजस्व विधि अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सुख—साधन कर की दायी मैरिज हॉल/मण्डप एवं अन्य इकाइयों के पंजीकृत कारबारी/स्वामी, जो सामूहिक आयोजन/सभा आदि हेतु, अधिनियम में यथा परिभाषित "किराया" प्राप्त करते हैं, को सुविधा देने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2012—13 (अवशेष अवधि) एवं 2013—14 हेतु, देय कर के बदले समाधान राशि के भुगतान हेतु, धारा 7(1) के अन्तर्गत समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित शर्तें एवं दिशा निर्देश :—

1. यह योजना वैकल्पिक होगी और वित्तीय वर्ष वार होगी। जो कारबारी समाधान योजना एक बार अपना लेंगे उन्हें उस वित्तीय वर्ष हेतु अपना विकल्प वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।

2. योजना का विकल्प अपनाने वाले कारबारी द्वारा अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष संलग्न प्रारुप—1 में अपना प्रार्थना—पत्र वित्तीय वर्ष 2012—13 (अवशेष अवधि) हेतु योजना जारी होने के एक माह के अन्दर एवं वित्तीय वर्ष 2013—14 हेतु दिनांक 15.04.2013 तक देना होगा। नये कारबार के संबंध में कारबार आरम्भ होने के एक माह के अन्दर, प्रार्थना—पत्र दिया जा सकेगा। अलग—अलग वित्तीय वर्ष के लिये अलग—अलग विकल्प प्रार्थना—पत्र देना होगा।

3. यदि किसी कारबारी की एक से अधिक इकाइयाँ हैं परन्तु वह भिन्न—भिन्न कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में स्थित है, तो ऐसी दशा में समाधान हेतु प्रार्थना—पत्र, क्षेत्रवार अलग—अलग दाखिल करना होगा।

4. प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न प्रारुप—2 में एक शपथ—पत्र/अनुबन्ध—पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

5. प्रार्थना—पत्र समय से उपलब्ध न कराने की स्थिति में, विलम्ब का समुचित कारण होने पर, क्षमा का अधिकार कमिश्नर, वाणिज्य कर को होगा।

6. योजना अपनाने वाले कारबारी को बीजक में पृथक से कर वसूलने का अधिकार नहीं होगा।

7. योजना अपनाने वाले कारबारी के लिये अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के बदले एकमुश्त समाधान राशि (प्रत्येक इकाई के लिये अलग—अलग) निम्न प्रकार देय होगी—

क्रम सं0	इकाई का स्थान (Location)	निर्धारित एकमुश्त समाधान राशि
1.	नगर निगम/नगरपालिका की सीमा के अन्दर स्थित इकाई	₹ 2,500 प्रति आयोजन (Event) प्रतिदिन
2.	नगर निगम/नगरपालिका की सीमा के बाहर स्थित इकाई	₹ 1,500 प्रति आयोजन (Event) प्रतिदिन

स्पष्टीकरण—यदि एक आयेाजन (Event) एक से अधिक दिन तक चलता है तो सभी दिनों का अलग—अलग समाधान शुल्क देय होगा और यदि एक दिन में एक से अधिक आयोजन (Event) होते हैं तो प्रत्येक आयोजन (Event) के लिए अलग—अलग समाधान राशि देय होगी।

8. योजना के विकल्पधारी कारबारी को, अपनी प्रत्येक इकाई हेतु अलग—अलग, संलग्न प्ररुप—3 में "देय समाधान राशि का मासिक आंकलन", संबंधित माह के अगले माह की 7 तारीख तक, अपने करनिर्धारण अधिकारी को, देय समाधान राशि के जमा के प्रमाण सहित, दाखिल करना होगा। देय समाधान राशि निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात्, जमा करने पर जमा तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय होगा।

9. योजना के विकल्पधारी कारबारी को उत्तराखण्ड होटलों में सुख—साधन कर (संशोधन) नियमावली, 2012 के नियम 16 के द्वारा निर्धारित रजिस्टर्स, एल0टी0आर0—1 व एल0टी0आर0—2, बुकिंग स्लिप एवं इनवाइस आदि के रूप में अपने लेखे रखने होंगे और कर निर्धारण अधिकारी अथवा कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी के मांगने पर जाँच हेतु प्रस्तुत करने होंगे।

10. ऐसे विकल्पधारी, जिन्होंने योजना की शर्तों का अनुपालन किया है और जिनके सम्बन्ध में कर अपवचन संबंधी कोई प्रतिकूल सूचना अथवा तथ्य प्राप्त नहीं हुए हैं, को कर निर्धारण हेतु कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. मिथ्या तथ्य प्रस्तुत करना अथवा मिथ्या घोषणा करना पाये जाने पर विकल्पधारी कारबारी की संबंधित इकाई को योजना से बाहर करके उसके संबंध में नियमित करनिर्धारण एवं अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

12. कमिश्नर, वाणिज्य कर को अधिकार होगा कि वह योजना हेतु प्रार्थना—पत्र को अथवा देय समाधान राशि के मासिक आंकलन के विवरण को विभागीय वेबसाइट पर ऑन लाईन दाखिल करना अनिवार्य कर सकें और इस हेतु आवश्यक शर्तें एवं व्यवस्था निर्धारित कर सकें।

प्रारुप—1

(मैरिज हॉल, मण्डप, कम्यूनिटी हॉल, कान्फ्रेन्स हॉल, लॉज, क्लब, टेन्टेज रिर्जोट, ओपन स्पेस हेतु देय कर के बदले समाधान राशि का विकल्प प्रार्थना—पत्र)

सेवा में,

करनिर्धारक प्राधिकारी,

खण्ड ....,

मण्डल / उपमण्डल............।

महोदय,

मैं, ... पुत्र श्री ...., सर्वश्री .... जिसका मुख्यालय .... पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड कराधान तथा भू—राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत कार्यालय .... द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण—पत्र संख्या .... दिनांक .... से प्रभावी किया गया है / जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए करनिर्धारक प्राधिकारी खण्ड.............................मण्डल / उपमण्डल...के कार्यालय में दिनांक .... को प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी / साझीदार / डायरेक्टर ....हूं। मैंने उक्तानुसार वर्णित मैरिज हॉल, मण्डप कम्यूनिटी हॉल, कान्फ्रेन्स हॉल, लॉज, क्लब, टेन्टेज रिर्जोट, ओपन स्पेस हेतु वित्तीय वर्ष 2012—13 (अवशेष अवधि) / 2013—14 में देय सुख—साधन कर के विकल्प में अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में एकमुश्त देय समाधान राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है अथवा पूर्णरूप से सुन लिया है और भलीभाँति समझ लिया है इन निर्देशों की सभी शर्तें मुझे मान्य है और उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना—पत्र, उक्त कारबार की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूं।

वित्तीय वर्ष 2012—13 (अवशेष अवधि) / 2013—14 हेतु देय सुख—साधन कर के बदले उत्तराखण्ड कराधान तथा भू—राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 7 की उपधारा (1) के उपबन्ध के अधीन, देय एकमुश्त समाधान राशि संलग्न शपथ—पत्र / अनुबन्ध के अनुसार जमा करने का आवेदन करता हूं। मैं, समाधान राशि मासिक रूप से शपथ—पत्र / अनुबन्ध में की गयी शर्तों के अनुसार / योजना में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जमा करूंगा। मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि किसी कारण मेरा यह शपथ—पत्र / अनुबन्ध वापस या निष्प्रभावी नहीं होगा। इकाइयों के नाम पते निम्नानुसार दे रहा हूं, जिनके लिये समाधान का विकल्प अपनाना चाहता हूं :—

क्र0 सं0	नगर निगम / नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत स्थित इकाई का नाम व पता	क्र0 सं0	नगर निगम / नगरपालिका की सीमा के बाहर स्थित इकाई का नाम व पता
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

प्रास्थिति ....

प्रारुप—2

(शपथ—पत्र/अनुबन्ध—पत्र)

समक्ष करनिर्धारक प्राधिकारी,

खण्ड ....

मण्डल/उपमण्डल ....

मैं, ... पुत्र श्री .... आयु लगभग .... वर्ष, स्थायी निवासी .... (पूरा पता) शपथपूर्वक बयान करता हूं—

1. कि मैं फर्म सर्वश्री ...., जिसका मुख्यालय .... (पूरा पता) पर स्थित है और जिसका पंजीयन प्रमाण—पत्र सं0 .... प्रभावी दिनांक .... है, का स्वामी/साझीदार/डायरेक्टर/(अन्य प्रास्थिति) .... हूं तथा यह शपथ—पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूं।

2. कि वित्तीय वर्ष 2012—13 (अवशेष अवधि)/2013—14 में मेरी फर्म के अन्तर्गत, राज्य के अन्दर स्थित समस्त मैरिज हॉल/मण्डप/कम्यूनिटी हॉल/कान्फ्रेन्स हॉल/लॉज/क्लब/टेन्टेज रिर्जोट/ओपन स्पेस हेतु विवरण निम्नप्रकार हैं :—

क्र0 सं0	नगर निगम/नगरपालिका की सीमा के अन्दर स्थित इकाइयों का नाम व पता	नगर निगम/नगरपालिका की सीमा के बाहर स्थित इकाइयों का नाम व पता
1.		
2.		
3.		

3. कि मैंने, उक्त इकाइयों में से, आपके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली निम्न इकाइयों हेतु वित्तीय वर्ष 2012—13 (अवशेष अवधि)/2013—14 में, देय कर के बदले, एकमुश्त राशि का विकल्प चुना है :—

क्र0 सं0	नगर निगम/नगरपालिका की सीमा के अन्दर स्थित इकाइयों का नाम व पता	नगर निगम/नगरपालिका की सीमा के बाहर स्थित इकाइयों का नाम व पता
1.		
2.		
3.		

4. कि उक्त इकाइयों पर देय सुख—साधन कर के स्थान पर उत्तराखण्ड कराधान तथा भू—राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 धारा 7 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त राशि स्वीकार करने से संबंधित शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं दिशा निर्देशों की पूरी—पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है तथा सभी निर्देश, शर्तें, आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेंगे।

5. कि यदि मेरे द्वारा आवेदित इकाइयों के संबंध में उत्तराखण्ड कराधान तथा भू—राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र स्वीकार होता है तब समाधान राशि मेरी फर्म द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कर दी जायेगी।

6. कि यदि वित्तीय वर्ष 2012—2013 (अवशेष अवधि)/2013—14 के लिये मेरा, धारा 7 की उपधारा (1) में प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है तब मैं/मेरी फर्म इस शपथ—पत्र/अनुबन्ध के अनुलग्नक—1 (योजना के संबंध में शासन के दिशा निर्देश) में दी गयी शर्तों का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निर्वहन के लिए बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिये गये निर्देशों, लगाए गए प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तों के अनुपालन न किए जाने की दशा में उत्तराखण्ड शासन तथा वाणिज्य कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाहियां मेरी फर्म के विरुद्ध कर सकेगा।

7. कि मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि पृथक से कर वसूल नहीं किया जायेगा।

संलग्नक—अनुलग्नक—1 (योजना के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित शर्तें एवं दिशा निर्देश)

हस्ताक्षर ....

पूरा पता ....

प्रास्थिति ....

घोषणा

मैं, ... घोषणा करता हूं कि शपथ—पत्र/अनुबन्ध—पत्र के प्रस्तर 1 से 7 में अंकित विवरण, मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूं कि इस शपथ—पत्र/अनुबन्ध—पत्र तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों और निर्देशों से, मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

प्रास्थिति ....

साक्षी के हस्ताक्षर ....

नाम एवं पता ....

तिथि एवं स्थान ....

प्रारुप—3

(देय समाधान राशि का मासिक आंकलन)

मैरिज हॉल/मण्डप/कम्यूनिटी हॉल/कान्फ्रेन्स हॉल/लॉज/क्लब/ टेन्टेज रिर्जोट/ओपन स्पेस के संबंध में

1. माह .... वर्ष ....
2. कारबार की पंजीयन संख्या .... प्रभावी दिनांक ....
3. कारबार के मुख्यालय का नाम व पता ....
4. यूनिट का नाम व पता (जिसके लिये आंकलन दिया जा रहा है) ....
5. यूनिट का स्थान
   (1) नगर निगम/नगरपालिका की सीमा के अन्दर है ....अथवा,
   (2) नगर निगम/नगरपालिका की सीमा के बाहर है ....
6. आंकलन ....

क्र0 सं0	दिनांक	आयोजनों (Events) की संख्या	समाधान राशि की दर	समाधान राशि (₹)
i.				
ii.				

7. समाधान राशि का योग शब्दों में ....
8. समाधान राशि जमा का विवरण :

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	चालान आई0डी0 (CIN) नम्बर एवं	बैंक का नाम व पता तारीख	बैंक का MICR कोड	जमा कर (₹)
i.	0023008000100				
ii.	0023008000100				
iii.	0023008000100				
iv.	0023008000100				
				योग (अंकों में)	

योग (शब्दों में)

9. कारबारी के हस्ताक्षर ....
10. हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....
11. हस्ताक्षरकर्ता की प्रास्थिति ....

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून

वित्त अनुभाग—8

शुद्धि पत्र

02 जनवरी, 2013 ई0

सं0 11/2013/181(120)/XXVII(8)/08—उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग—8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या **1099/2012/181 (120)/XXVII(8)/08**, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के अंग्रेजी पाठ में शब्द "Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2012" के स्थान पर शब्द "Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Act, 2012" पढ़ा जाय।

शुद्धि पत्र

11 जनवरी, 2013 ई0

सं0 61/2013/181(120)/XXVII(8)/08—उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रख्यापन के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या 178/XXXVI(3)/2012/35(1)/2012, दिनांक 13 जून, 2012 के हिन्दी पाठ में :—

(क) क्रम सं0 6 पर धारा 43—क की उपधारा (5) (ख) के बाद स्पष्टीकरण में प्रयुक्त शब्द "अधिनियम" के स्थान पर शब्द "धारा" पढ़ा जाय।

(ख) क्रम सं0 8 पर धारा 48—क की उपधारा (5) (ख) के बाद स्पष्टीकरण में प्रयुक्त शब्द "अधिनियम" के स्थान पर शब्द "धारा" पढ़ा जाय।

(ग) क्रम सं0 8 पर धारा 48—क की उपधारा (7) में प्रयुक्त शब्द "माल" के स्थान पर शब्द "वाहन" पढ़ा जाय।

पीयूष कुमार,
अपर आयुक्त, वाणिज्य कर मुख्यालय,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि—अनुभाग)

31 जनवरी, 2013 ई0

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर, अधिकारी।

पत्रांक 4553/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/विधि—अनुभाग/12—13/देहरादून—मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 3996/आयु0क0उत्तरा/वा0क0/विधि—अनु0/12—13/देहरादून/दिनांक 15.12.2012 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2010—11 की वार्षिक विवरणी दाखिल करने के उपरान्त स्वतः कर निर्धारण योजना में जो प्रक्रिया अपनायी जानी थी, उसे विखण्डित किया जाता है।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना/करवाना सुनिश्चित करें।

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर (प्रशासन),
वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/153—भाग 1—क—2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।